अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

अप्रैल 2005 | केवल सदस्यों के लिए | मूल्य : 4 रुपये

आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 'चलो हैदराबाद' का कार्यक्रम किया

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन की ओर से 14 मार्च, 2005 को चलो हैदराबाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूनियन की मांग थी कि अतिरिक्त काम के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाए, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिये मानदेय पर बजट नियंत्रण समाप्त किया जाए, मानदेय का भुगतान नियमित रूप से किया जाए, सुपरवाइजरों के पदों पर नियुक्तियां की जाएं और सेवानिवश्त्ति के लाभ दिये जाएं। लगभग 20,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया; ये कर्मचारी राज्य के बीस जिलों से रैली में भाग लेने के लिये आए थे। इसका प्रत्युत्तर इतना जबरदस्त था कि लगभग 2,000 महिलाएं रेल गाड़ियों में जगह न मिल पाने के कारण रैली में भाग नहीं ले सकीं। यह जुलूस रामनगर चौरस्ता से शुरू हुआ और सुन्दरैय्या पार्क की ओर बढ़ा जहां पहुंच कर यह रैली में परिवर्तित हो गया। सभा के लिये शामियाना लगाया गया था और सभा स्थल का समीपवर्ती पार्क जुलूस के वहां पहुंचने के समय तक पूरी तरह भर चुका था।

यूनियन की ओर से रैली के लिये सघन प्रचार अभियान चलाया गया था। रैली में भाग लेने से पूर्व नेताओं ने आइसीडीएस, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की; उन्होंने राजस्व विभाग तथा सम्बन्धित मंत्रियों जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, से कई बार भेंट करके उन्हें मांग पत्र भेंट किया था। सीपीआइ (एम) से सम्बन्धित विधायकों ने इस काम में उन्हें उल्लेखनीय सहयोग दिया। वे सामूहिक रूप में और व्यक्तिगत तौर पर भी मुख्यमंत्री से मिलने गए और इस प्रकार उन्होंने सरकार पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को मानने के लिये उन पर दबाव डाला था। इसके साथ ही 'हैदराबाद चलो' कार्यक्रम के लिये आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से दिये जा रहे शानदार प्रत्युत्तर की सूचनाएं भी मिलती रहीं। इन सबके चलते सरकार को रैली की पूर्व सन्ध्या पर एक आदेश जारी करके आंगनवाड़ी कमचारियों के लिये मानदेय में वृद्धि करने पर विवश होना पड़ा; यह वृद्धि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये 200 रुपये तथा सहायिकाओं के लिये 100 रुपये होगी। यद्यपि बजट नियंत्रण अभी समाप्त नहीं किया गया है तथापि सरकार ने एक वर्ष के लिये आवश्यक धन राशि जारी कर दी है और उसने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किये जाने के निदेश जारी किये हैं। उसने पुनः दोहराया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के घरों की जगहों तथा शहरी श्रमिकों के लिये यात्रा भत्ते से सम्बन्धित सरकारी आदेश को लागू किया जाएगा।

इसके साथ ही साथ सरकार ने कामकाजी घण्टों में बढ़ोतरी करने का प्रयास भी किया है। यूनियन की ओर से इसका घोर विरोध किया गया है और मांग की गई है कि इससे सम्बन्धित आदेश तत्काल वापस लिये जाएं। सम्मेलन ने फैसला किया है कि अतिरिक्त घण्टे काम किये जाने से सम्बन्धित सरकार के आदेश को लागू नहीं होने दिया जाएगा।

अधिकारियों की ओर से अनेक व्यावधान उत्पन्न किये जाने पर भी यूनियन के इस कार्यक्रम को अपार सफलता मिली है। यद्यपि सरकार के अनेक उच्चाधिकारियों का रुख सकारात्मक रहा हो तथापि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ये धमकियां भी दी जाती रहीं कि यदि उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा और सीआइटीयू यूनियन में लामबंद होना जारी रखा तो उनका एक बार फिर वही हश्र होगा जो चन्द्रबाबू नायडू के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सद् परामर्श दिया कि वे यूनियन के रूप में प्रतिबिम्बित अपनी संयुक्त शक्ति पर विश्वास करने के स्थान पर ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखें। कुछ अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को हैदराबाद पहुंचने से रोकने के लिये कार्यक्रम के रद्द हो जाने की झूठी घोषणा कर दी। कुछ रेलवे स्टेशनों में भी यह घोषणा कराई गई। सिकंदराबाद स्टेशन में बिजली और पानी के कनैक्शन काट दिये गए जिसके चलते उन महिलाओं जो पिछली पूरी रात सफर करके वहां पहुंची थी और स्टेशन में रुकी थीं, को भारी असुविधा हुई। इन सभी कार्रवाईयों ने कांग्रेस सरकार के असल चेहरे को बेनकाब किया है और इसके फलस्वरूप आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अपनी यूनियन तथा संयुक्त संघर्षों पर विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है।

□

हमें अथक संघर्ष करना होगा!

वर्ष 2005–06 के बजट से पहले संसद में वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किये गए थे; आम तौर पर ऐसा ही होता है। आर्थिक सर्वेक्षण तथा वार्षिक बजट पेश किये जाने के बाद वित्त मंत्री की ओर से की गई घोषणाओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने पर हमें पता चल ही जाता है कि बजट में क्या कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। इसकी कुछेक उदाहरणें हम यहां देना चाहेंगे:

¨ विनिवेश कोष का गठन किया गया है; इस कोष का काम 1–4–2005 से शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के एक दिन बाद पत्रकारों अथवा मीडिया को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों जिनमें लाभ पर चलने वाली इकाईयां भी शामिल हैं, में सरकार की हिस्सा पूंजी विनिवेश के माध्यम से कम करके 51 प्रतिशत कर दी जाएगी।

¨ बजट में यह उल्लेख नहीं किया गया कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने 'बिजनस लाइन' (2 मार्च, 2005) को बताया: "बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया गया है। हमें एक विधेयक लाना पड़ेगा। बीमा अधिनियम 1938 तथा आइआरडीए अधिनियम 1999 दोनों में कुछ विशेष संशोधन किये जाने की जरूरत है। सभी संशोधन एक साथ किये जाएंगे। इसे अभी कार्यसूची से बाहर नहीं रखा गया है।"

¨ बैंकिंग क्षेत्र का मामला भारतीय रिजर्व बैंक पर छोड़ दिया गया है; वह इस क्षेत्र में सुधारों का रास्त तय करेगा। उन्होंने निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात कही है (यह निवेश 74 प्रतिशत तक हो सकता है)। इसके फलस्वरूप न केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्वाह होगा अपितु विदेशी दैव भारतीय बैंकों के मोल पर स्वदेशी बचतों को लूटने में सक्षम हो जाएंगे।

¨ वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग इकाईयों के लिये मैगा मरजर (व्यापक स्तर पर विलीनीकरण) के मंत्र का जाप करने से कभी नहीं थकते; कर्मचारियों तथा अधिकारियों की ओर से इसके लिये किये जा रहे जोरदार विरोध की आवाज उनके कानों में नहीं गूंजती।

¨ उत्खनन, व्यापार तथा पेन्शन के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा; इसका संकेत बजट में ही दे दिया गया है। इसका गहरा दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था तथा देश की जनता पर पड़ेगा।

¨ आर्थिक सर्वेक्षण में 'श्रम बाजार की कठोरताओं' 'अनुप्रवेश तथा निकास की रुकावटों' की बातें की गई हैं। श्रम कानूनों में परिवर्तन लाने की बात कही गई है; इसका दुष्प्रभाव श्रमिकों के हितों पर पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने लोक सभा में पेन्शन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक प्रस्तुत करने में तत्परता दिखाई है। इस प्रकार पहले जारी किये गए अध्यादेश की पुष्टि कर दी गई है। पेन्शन

कामरेड कनक मुखर्जी

प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी तथा पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट एवं महिला आंदोलन की प्रथम पंक्ति के नेताओं में से एक कामरेड कनक मुखर्जी के देहांत पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। उनका निधन 9 मार्च, 2005 को प्रभात के समय हुआ था।

कामरेड कनक मुखर्जी एक युवा छात्रा के रूप में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी थीं। वह छात्रों तथा विशेष तौर पर छात्राओं को आंदोलन के लिये लामबंद करने के काम में बहुत सक्रिय रही थीं। वह स्टूडैंट्स फैडरेशन की छात्राओं से सम्बन्धित उप समिति की पहली संयोजक थीं। वह एक प्रतिभाशाली कवयित्री तथा लेखिका भी थीं और उन्होंने बंगला भाषा के साहित्य में भारी योगदान दिया है।

वह अविभाजित बंगाल में महिला आत्मरक्षा समिति, पश्चिम बंगा गणतांत्रिक महिला समिति के साथ–साथ देश में महिला आंदोलन की संस्थापक नेत्रियों में से एक थीं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की स्थापना होने पर वह इसके प्रधान पदाधिकारियों में शामिल हो गई थीं।

वह 1930 के दशक के शुरू में कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चलाए गए विभिन्न संघर्षों में उन्होंने अगली पंक्तियों में रह कर काम किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो जाने पर वह सीपीआइ (एम) में शामिल हो गई और उसकी केन्द्रीय समिति की सदस्य बनीं।

खराब स्वास्थ्य तथा आंखों की रौशनी तेजी से कम होते चले जाने पर भी कनकदी अपनी अंतिम सांस तक पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करती रहीं; वह संगठनात्मक तथा विचारधारात्मक तौर पर आंदोलन के लिये अपना योगदान देती रहीं; वह इसके लिये कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती थीं, पत्र–पत्रिकाओं के लिये लिखती थीं और दूसरे अनेक ढंगों से आंदोलन के लिये अपना योगदान देती थीं। उनका पूरा जीवन घटनाओं से भरा था और संगठन के कामों के लिये समर्पित था; वह हम सब लोगों के लिये प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी और भावी पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व तथा कामों से मार्गदर्शन लेती रहेंगी।

कनक मुखर्जी के विदा हो जाने से देश के जनवादी एवं महिला आंदोलन में एक भारी शून्य पैदा हो गया है जिसे पाटा नहीं जा सकता। सीआइटीयू तथा इसका मुखपत्र 'सीटू मजदूर' श्रमिक आंदोलन की इस प्रख्यात नेत्री को बड़े आदर के साथ श्रद्धांजलि भेंट करता है और उनके सम्मान में अपना लाल ध्वज झुकाता है।

□

निधि के निजीकरण तथा उसके धन को सट्टा बाजार में लगाए जाने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है।

इन सभी जघन्य कार्रवाईयों तथा लोगों की आंखों में धूल झोंकने के खिलाफ वाणिज्यक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा नाबार्ड के कर्मचारियों की ओर से वित्तीय क्षेत्र में अनेक हड़तालें की गई हैं। बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी हड़ताल करके इन जघन्य कार्रवाईयों के खिलाफ अपना विरोध जताया है।

श्रमिक आंदोलन को इन सेक्टरवार संघर्षों के साथ समन्वय स्थापित करके एकजुट होकर संघर्ष एवं आंदोलन के इस पथ पर आगे बढ़ना होगा; इन संघर्षों को सरकार की जन विरोधी नीतियों में बदलाव लाने के लिये चल रहे संघर्षों की मुख्यधारा के भाग बनाना होगा। अथक और निरंतर संघर्ष चलाना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यशाला

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन की ओर से राजमुंदरी में सम्पन्न पिछले राज्य सम्मेलन तथा पुरी में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला 19–20 फरवरी, 2005 को अनंतपुरम में सम्पन्न हुई। यूनियन के राज्य तथा जिला स्तर के 100 से अधिक नेताओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया; ये कार्यकर्ता एवं नेता राज्य के कुल 23 में से 20 जिलों में से आए थे। यूनियन की अध्यक्ष बी ललितामा ने सभी सत्रों की अध्यक्षता की।

सीआइटीयू की आंध्र प्रदेश राज्य समिति के सचिव आर सुधा भास्कर ने अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रीय स्थिति पर विस्तार में चर्चा की। उन्होंने बताया कि केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेतश्त्व वाली यूपीए सरकार तथा राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी पूर्ववर्ती एनडीए सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों पर चल रही हैं। उन्होंने यूनियन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ये सरकारें चुनावों के बाद न्यूनतम राष्ट्रीय सांझा कार्यक्रम पर अमल करें तथा अपने वादों को पूरा करें इसके लिये उन पर दबाव बनाना जरूरी है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के अखिल भारतीय महासंघ की महासचिव कामरेड हेमलता ने मध्यावधि समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया और उन मुद्दों पर विचार करने को कहा जिनकी ओर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। उन्होंने सहभागियों को स्मरण कराया कि पिछले अखिल भारतीय सम्मेलन ने कार्यकर्ताओं का विकास करने, संगठन की जनवादी कार्य प्रणाली में सुधार लाने और संगठन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करने की ओर पूरा ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान किया था। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विशेष तौर पर सहायिकाओं की दैनिक समस्याओं का समाधान करने के लिये नियमित रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता के महत्व पर भी जोर दिया।

यूनियन की महासचिव रोजा ने विचार विमर्श के लिये पश्ष्ठभूमि आलेख प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि राज्य की कुल 351 परियोजनाओं में से 325 में यूनियन की सदस्य संख्या है। पिछले सम्मेलन के समय उसकी लामबंदी की क्षमता लगभग 10,000 थी जो अब बढ़ कर लगभग 30–40,000 हो गई है। स्थानीय मामलों में स्थानीय समितियों का हस्तक्षेप बढ़ा है। पिछले सम्मेलन के समय यूनियन की सदस्य संख्या 21,200 थी जो वर्ष 2003 में बढ़ कर 33,400 हो गई है। फिर भी यह सदस्य संख्या राज्य में आंगनवाडी कर्मचारियों के बीच यूनियन की प्रतिष्ठा को प्रतिबिम्बित नहीं करती। राज्य में केवल एक तिहाई आंगनवाड़ी महिलाओं को ही यूनियन की सदस्य बनाया जा सका है। दूसरे अनेक आंगनवाड़ी कर्मचारी खुद को हमारी यूनियन के सदस्य मानते हैं। उन्होंने यूनियन के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यकर्ताओं का विकास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रोजा ने आंगनवाड़ी क्षेत्रों में लोगों की चिंताओं एवं समस्याओं में उनका साथ देकर, उनमें जागरूकता लाकर, महिलाओं की सहायता करके, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी मांगों के लिये संगठित करके और उनके संघर्षों का समर्थन करने लोगों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आइसीडीएस से लाभ उठाने वाले लोगों का समर्थन इन योजनाओं को नियमित करने के लिये हासिल किया जाना चाहिये।

कार्यशाला को चार मुद्दों–सदस्य संख्या; राज्य, जिला तथा परियोजना समितियों की कार्य प्रणाली; कार्यकर्ताओं का विकास तथा लोगों के साथ सम्बन्ध–पर विचार करने के लिये चार सत्रों में विभाजित किया गया। कार्यकर्ताओं को जिलावार समूहों के तौर पर विभक्त किया गया और इस प्रकार उन्होंने राज्य एवं अखिल भारतीय सम्मेलनों में दिये गए निदेशों के कार्यान्वयन में अपने प्रयासों की आत्म आलोचना परक समीक्षा की।

कार्यशाला में रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित कर दी गई और प्रत्येक सर्कल में यूनियन के लिये कम से कम एक कार्यकर्ता का विकास करने की ओर अपनी कोशिशों को केन्द्रित करने का फैसला किया गया। कार्यशाला ने राज्य सरकार की ओर से अपने बजट प्रस्तावों में घोषित 100 रुपये के अत्यंत अल्प मानदेय पर अपनी घोर निराशा व्यक्त की और 14 मार्च, 2005 को 'विधान सभा चलो' कार्यक्रम को आयोजित करने का फैसला किया गया। इसके अतिरिक्त 26 अप्रैल, 2005 को दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले सम्मेलन के लिये आंगनवाड़ी कर्मचारियों को लामबंद करने का फैसला भी किया गया।

असम में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की विशाल रैली

सीआइटीयू से सम्बद्ध असम राज्यिक आंगनवाड़ी कर्मी अरु सहायिका संस्था तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के अखिल भारतीय महासंघ की ओर से 19 मार्च, 2005 को सोनाराम हाई स्कूल के खेल मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में लगभग 5,000 आंगनवाड़ी श्रमिकों ने भाग लिया। ये श्रमिक डिबरूगढ़, जोरहाट, सोनितपुर, कछार तथा शिवसागर सहित राज्य के 17 जिलों से रैली में भाग लेने के लिये पहुंचे थे। महासंघ की अध्यक्ष कामरेड नीलिमा मैत्र मुख्य अतिथि थीं और उन्होंने रैली को सम्बोधित किया।

रैली की अध्यक्षता असम राज्यिक संस्था की अध्यक्ष माधुरी देवी ने की। यूनियन की महासचिव कुंजा डेका, महासंघ की उपाध्यक्ष पुष्पालता दास, यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष तपन शर्मा तथा दूसरे वक्ताओं ने राज्य में काम करने वाले आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार में चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अपने राज कोष में से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के कल्याण हेतु एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार के लिये पहले से अतिरिक्त काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये तथा सहायिकाओं को 300 रुपये का भुगतान किया जाए। उन्होंने मांग की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये सुपरवाइजरों के पदों में शत प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाए; पात्र सहायिकाओं को कार्यकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया जाए और नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता के पौष्टिक आहार की आपूर्ति का प्रावधान किया जाए।

सीआइटीयू की असम राज्य समिति के महासचिव देबेन भट्टाचार्य ने राज्य में दूसरे श्रमिकों तथा कर्मचारियों को आंगनवाड़ी कर्मचारियों की उचित मांगों का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों से मांग की कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को तत्काल पूरा करें। यूनियन ने घोषणा की कि यदि राज्य सरकार ने सितम्बर 2005 तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो उस तिथि से जिसका निर्धारण राज्य समिति की ओर से किया जाएगा, पूरे राज्य भर में बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालयों के आगे धरने देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा।

तमिलनाडु आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त किये

तमिलनाडु में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने लम्बा संघर्ष करने के बाद सेवानिवृत्ति के कुछेक लाभ प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। वे 322 रुपये प्रति मास का अतिरिक्त मानदेय प्राप्त करने में भी सफल रहे हैं।

तमिलनाडु की सरकार ने इस वर्ष के बजट में घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50,000 तथा सहायिकाओं को 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि सेवानिवश्त्त होने पर दी जाएगी। सरकार विशेष भविष्य निधि के लिये 10,000 रुपये का अंशदान देगी। बजट में प्रारम्भ में केवल आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिये 322 रुपये के अतिरिक्त भत्ते (200 रुपये तथा 61 प्रतिशत महंगाई भत्ता जो 122 रुपये बनता है) का प्रावध ान किया गया था। कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई वश्द्धि नहीं की गई थी। तमिलनाडु आंगनवाड़ी इम्पलाईज एसोसिएशन ने चेन्नई में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के आगे इसके विरुद्ध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और मांग की गई थी कि यह प्रावधान कार्यकर्ताओं के लिये भी किया जाए। सात जिलों की लगभग 3,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया था। सरकार को उनकी यह मांग मानने के लिये मजबूर होना पड़ा और उसकी ओर से घोषणा की गई कि कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की निधियों में से 322 रुपये का अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।

भारत सरकार ने वर्ष 2002 में 500 रुपये की वश्द्धि की थी जिसे राज्य सरकार की ओर से अभी तक लागू नहीं किया गया था। अब भी वह आंगनवाड़ी कर्मचारियों को इस राशि का भुगतान करने पर सहमत नहीं हुई। यूनियन ने इसके लिये सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखने का फैसला किया है।

छत्तीसगढ़ में यूनियन कार्यकर्ताओं की बैठक

आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन, छत्तीसगढ़ की कार्य समिति की एक विस्तारित बैठक का आयोजन 20 मार्च, 2005 को राजनंदगांव में किया गया था। बैठक में आइसीडीएस के नियमितीकरण पर दिल्ली में आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियों तथा हस्ताक्षर एकत्रित किये जाने पर चर्चा की गई। यूनियन के अध्यक्ष जे पी टिकारिया ने कार्यकर्ताओं को परामर्श दिया कि वे ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराने का काम पूरा कर लें; यह ज्ञापन भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री को भेंट किया जाएगा। टिकारिया ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सीधे अखिल भारतीय केन्द्र को भेजने का सुझाव दिया।

शेष पेज 11 पर

‘काम के अधिकार’ पर राष्ट्रीय कन्वेंशन

कोलकाता – 12–13 मार्च, 2005

घोषणापत्र

कोलकाता में 12–13 मार्च, 2005 को आयोजित ‘काम के अधिकार’ पर राष्ट्रीय कन्वेंशन बेरोजगारी में चौंका देने वाली सीमा तक हो रही वश्द्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। इसका दुष्प्रभाव समाज की सभी श्रेणियों पर पड़ रहा है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में इस समस्या की गहराई को कमतर करके दिखाया जा रहा है। यदि अर्ध रोजगारी, आंशिक रोजगारी, ऋतुनिष्ठ अथवा सीजनल रोजगारी सहित बेरोजगारी को सभी पहलुओं से देखा जाए तो बेरोजगारी का आंकड़ा सरकारी आंकड़े से कई गुणा बढ़ जाएगा; यह 12 करोड़ से कहीं अधिक होगा अर्थात् आर्थिक दृष्टि से सक्रिय हमारी जनसंख्या के 25 प्रतिशत भाग से भी अधिक।

कन्वेंशन इस तथ्य का उल्लेख करती है कि विशेष तौर पर रोजगारहीन विकास की नव उदार सत्ता के हमलों के परिणामस्वरूप बेरोजगारी की स्थिति बेहद गम्भीर हो चुकी है; अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों उद्योग तथा कृषि में रोजगार के नये अवसर पैदा करने की क्षमता का बुरी तरह क्षरण हो चुका है; रोजगार की गुणवत्ता में तीखी गिरावट आई है, यह गिरावट न केवल वेतनों के मामले में देखी जा सकती है बल्कि ट्रेड यूनियन अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा तथा कामकाजी स्थितियों की दृष्टि से भी देखी जा सकती है। कोष/बैंक की ओर से सुझाई गई नव उदार आर्थिक नीतियां जिनका पालन सरकारों की ओर से किया जाता रहा है या किया जा रहा है, न केवल रोजगार कम कर रही हैं अपितु वर्तमान में उपलब्ध रोजगारों की हत्याएं भी करती चली जा रही हैं; ये नीतियां स्थिति को अधिकाधिक गम्भीर बनाती चली जा रही हैं।

खेतिहर श्रमिकों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिये भी रोजगार नहीं मिलता जबकि छोटे एवं सीमांतक किसानों की आय में भी तीखी गिरावट आ चुकी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि रोजगार में भी उल्लेखनीय सीमा तक गिरावट आ चुकी है। शहरी क्षेत्रों में छोटे तथा मंझोले उद्योगों की इकाईयां बाजार के सिकुड़ते चले जाने, ऋण उपलब्ध नहीं होने और बड़े नैगम घरानों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ असमान एवं अन्यायोचित प्रतिस्पर्धा होने के कारण व्यापक स्तर पर बंद हो रही हैं जबकि शहरी रोजगार के बहुत बड़े भाग का सृजन इन्हीं औद्योगिक इकाईयों द्वारा किया जाता है; यह सब इस क्षेत्र के प्रति सरकार की शत्रुतापूर्ण नीतियों के चलते हो रहा है। सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के बड़े उद्योगों और उनके साथ–साथ सरकारी विभागों तथा पालिका सेवाओं में भी श्रम शक्ति का आकार कम किये जाने, संविदाकरण तथा आउटसोर्सिंग रोजमर्रा की बात बन गई है। इसके परिणामस्वरूप समग्र रोजगार तथा वेतन बिलों में लगातार गिरावट आती चली जा रही है; इसके विपरीत नैगमिक घरानों के लिये मुनाफे के अम्बार लगते चले जा रहे हैं।

निहित स्वार्थों की ओर से चलाए जा रहे अभियानों के विपरीत आइएलओ की ओर से उपलब्ध कराए गए अध्ययन एवं सूचनाएं स्पष्ट तौर पर यह दर्शाती हैं कि स्थायी रोजगार समाप्त हो रहा है, रोजगार का संविदाकरण किया जा रहा है, उसे आकस्मिक बनाया जा रहा है और आउटसोर्सिंग जोर शोर से चल रही है; इन सभी कारकों के चलते बेरोजगारी की हालत बद से बदतर हो गई है। सेवा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में रोजगार के नये नये अवसर पैदा होने के बारे में बढ़ चढ़ कर बातें की जा रही हैं किन्तु इन सब का कोई आधार नहीं है। नव उदारीकरण के प्रचारकों का यह दावा कि संगठित उद्योग तथा कृषि में रोजगार की क्षति की भरपाई सेवा क्षेत्र कर देता है; केवल मात्र मृग तृष्णा के अलावा और कुछ नहीं ळें

कन्वेंशन इस तथ्य को स्वीकार करती है कि बेरोजगारी की यह महामारी कैंसर की तरह मानव समाज के सभी अंगों में फेल चुकी है – कोई भी इससे बच नहीं पा रहा – वे चाहे रोजगार पर लगे लोग हों या बेरोजगार, शहरी हों या ग्रामीण, पुरुष हों या महिलाएं, श्रमिक वर्ग, किसान, छात्र और युवा! बेरोजगा लोगों का आर्थिक गतिविधियों से बाहर निकल जाना लगभग तय होता है; इसके फलस्वरूप उन्हें यह लगने लगता है कि पूरे समाज ने एक प्रकार से उनका बहिष्कार कर दिया है और उनकी यही हालत सभी तरह की आपराधिक, कट्टरपंथी तथा चरमपंथी गतिविधियों के लिये उर्वर अथवा उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराती है।

जन साधारण की इस अत्यंत संवेदनशील श्रेणी के भीतर समाज से अलगाव की भावना पैदा न होने पाए और वे प्रगतिशील ताकतों और शोषण के खिलाफ उनकी ओर से चलाए जा रहे संघर्ष को कमजोर करने के लिये शोषक वर्ग के हाथों का खिलौना न बन जाएं; श्रमिक आंदोलन को इस बात का ध्यान रखना चाहिये। शोषणकारी व्यवस्था को बदल कर और सामाजिक परिवर्तन लाकर ही बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। इसलिये ‘काम के अधिकार’ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक लम्बा राष्ट्रव्यापी संयुक्त आंदोलन चलाना होगा; श्रमिक वर्ग को इसके लिये गम्भीर पहलकदमियां करनी होंगी; इस निर्णायक मोड़ पर यह उसका ऐतिहासिक कर्त्तव्य बन जाता है; उसके लिये तत्काल रूप से इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना होगा कि बेरोजगारी को पैदा करने वाली

तथा मौजूदा रोजगारों की हत्या करने वाली नीतियों को बदल डाला जाए। इस प्रकार की पहलकदमियां करने से श्रमिक वर्ग तथा सामान्य जनवादी आंदोलन के बीच का सम्पर्क जीवंत बन जाएगा।

कन्वेंशन इस बात को स्वीकार करती है कि श्रमिक आंदोलन को रोजगार पक्षीय वैकल्पिक नीतियों के लिये अभियान चलाना चाहिये और उसे जहां तक सम्भव हो सके व्यापक से व्यापक जन लामबंदी करके इन वैकल्पिक नीतियों को लोकप्रिय बनाना चाहिये। यह काम करते समय इस कपोल कल्पना की धज्जियां उड़ाने की जरूरत भी है कि ट्रेड यूनियन अधिकारों में कटौती होने के फलस्वरूप पूंजी के निवेश तथा रोजगार के सृजन को बढ़ावा मिलता है। बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान समाजवादी समाज व्यवस्था में ही सम्भव हो सकता है; इस अवधारणा के पक्ष में तर्क देते समय श्रमिक आंदोलन भूमण्डलीयकरण के अन्तर्गत रोजगारहीन विकास की कोष/बैंक निदेशित नीतियों के खिलाफ वैकल्पिक रोजगार पक्षीय नीतियों के लिये संघर्ष चला सकता है। कन्वेंशन अनुभव करती है कि निरंतर संघर्ष चला कर वैकल्पिक नीतियों की मांग पूरी कराई जा सकती है।

कन्वेंशन प्रण करती है कि दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ एकता का निर्माण किया जाएगा और किसानों, खेतिहर श्रमिकों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं एवं दूसरी कारोबारी श्रेणियों के अन्य सभी जन संगठनों के साथ विचार विमर्श करके और उनकी सहभागिता के साथ इस दिशा में पहलकदमी की जाएगी। हमें इसके लिये खुद को तैयार करना होगा; आंदोलनों को मजबूत बनाना होगा और जन संगठनों को अपने निकट लाना होगा; केवल ऐसा करके ही हम एक मौलिक अधिकार के रूप में 'काम के अधिकार' की प्राप्ति के अपने लक्ष्य को पाने के उद्देश्य से एक संयुक्त देशव्यापी आंदोलन का आधार तैयार कर सकेंगे।

कन्वेंशन सेक्टरवार, क्षेत्रवार, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर चरणबद्ध ढंग से सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा में बदलाव लाने जिसके फलस्वरूप देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे, की मांग पर जोर देने के लिये अभियान चलाने और जन लामबंदी करने के लिये कदम उठाने का फैसला करती है। राज्य स्तरीय अभियान की परिणति राष्ट्रीय स्तर पर जन लामबंदी और एक मौलिक अधिकार के रूप में 'काम के अधिकार' के लिये जनता के संघर्ष के रूप में होनी चाहिये।

'काम के अधिकार' के मुद्दे पर जन लामबंदी के लिये हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहियें और इसके साथ-साथ सरकार की प्रतिगामी नीतियों के खिलाफ संघर्ष की दूसरी कार्रवाईयां करते रहना चाहिये। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर यह कन्वेंशन संघर्ष के अधोलिखित कार्यक्रम चलाने का फैसला करती है:

• कन्वेंशन प्रत्येक वर्ष 28 मार्च को रैलियों, प्रदर्शनों तथा धरनों इत्यादि का आयोजन करके 'बेरोजगारी विरोधी दिवस' मनाने का फैसला करती है और श्रमिक वर्ग से इस दिशा में पहलकदमी करने का आह्वान करती है।

• संसद में पेश किये गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विधेयक ने उन सभी आश्वासनों पर पानी फेर दिया है जिनके लिये राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी; सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप इस विधेयक में आमूल परिवर्तन करे, इस ठोस मांग की प्राप्ति के लिये सभी श्रमिक संघों तथा दूसरे जन संगठनों की संयुक्त लामबंदी की जाए और इसके लिये पहलकदमी की जाए; इस कार्यक्रम की शुरूआत जिला एवं औद्योगिक केन्द्रों के स्तर पर की जाए और इसके बाद राज्य स्तरीय कन्वेंशनों का आयोजन किया जाए।

• बेरोजगारी के असल कारणों तथा सरकार की बुनियादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत पर लोकप्रिय शैली में अभियान के लिये साहित्य का प्रकाशन किया जाए।

• बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ जमीनी स्तर पर लगातार तीन महीने सघन प्रचार अभियान चलाया जाए जिसमें घर-घर जाकर लोगों के साथ सम्पर्क करना भी शामिल है; दूसरे जन संगठनों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त मंचों का गठन करके दूसरे सभी श्रमिक संघों तथा जन संगठनों को हमारे इस अभियान में शामिल किया जाना चाहिये; इस अभियान के तहत क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर कन्वेंशनों, रैलियों, धरनों का आयोजन किया जाए और गिरफ्तारियां देने का कार्यक्रम चलाया जाए; इसके अलावा दूसरे प्रकार के आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं।

• दूसरे श्रमिक संघों तथा जन संगठनों के साथ विचार विमर्श करके संयुक्त अभियान के एक भाग के रूप में 'काम के अधिकार' पर लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किये जाने का देशव्यापी कार्यक्रम चलाया जा सकता है।

• राष्ट्रीय राजधानी में केन्द्रीय स्तर पर विशाल जन लामबंदी की तैयारियां करने के लिये राज्य स्तरीय कन्वेंशनों का आयोजन तथा जन लामबंदी की जानी चाहिये।

• जत्थों का अखिल भारतीय कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसकी परिणति 'दिल्ली चलो' के लिये विशाल लामबंदी के रूप में होगी।

• संघर्ष के आगामी कार्यक्रम की घोषणा दिल्ली में आयोजित की जाने वाली रैली में की जाएगी।

कन्वेंशन सभी श्रमिक संघों और किसानों, खेतिहर श्रमिकों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं तथा दूसरे कारोबारों से जुड़े लोगों के जन संगठनों से इस कार्यक्रम को शानदार सफलता दिलाने के लिये पूरी गम्भीरता के साथ इसकी तैयारियों में जुट जाने का अनुरोध करती है। कार्यक्रम का दूसरा ब्यौरा सभी स्तरों पर संयुक्त रूप से निश्चित किया जाएगा ताकि इसका परिणाम एक मौलिक अधिकार के रूप में 'काम के अधिकार' को प्राप्त करने के उद्देश्य से पूरे देश भर में एक शक्तिशाली जन लामबंदी के रूप में निकले। □

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवसः

समाजवाद तथा मुक्ति के लिये संघर्ष का प्रतीक

इन्द्राणी मजुमदार

· आठ मार्च का अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मुक्ति तथा समाजवाद के लिये महिलाओं के संघर्षो का प्रतीक है; यह बात 'द वायस आफ वर्किंग विमन' के पाठक भलि भांति जानते हैं। फिर भी बीसवीं शताब्दी के इन प्रारम्भिक वर्षो में, लगभग दस दशकों तक महिला दिवस मनाए जाने के बाद इन विनाशकारी विपरीत स्थितियों के खतरे से हम दो चार हो रहे हैं; भूमण्डलीयकरण की नयी लहर ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना डाला है; सामंती एवं धार्मिक आडम्बर की प्रतिगामी अभिव्यक्ति ने महिलाओं की भूमिका को कमतर करके उन्हें दासत्व तथा दूसरों पर निर्भरता की स्थिति में धकेल दिया है। श्रमिकों के रूप में महिलाओं के अधिकारों पर नये सिरे से राजनीतिक एवं आर्थिक धावा बोला जा रहा हैं

एक ओर तो महिलाओं को इन हमलों का शिकार बनाया जा रहा है जबकि दूसरी ओर उनका प्रस्तुतिकरण सुन्दर गुड़ियाओं तथा सेक्स के प्रतीक चिन्हों के रूप में किया जा रहा है। इस बर्बर एवं जड़हीन सामाजिक व्यवस्था में स्नेह पाने और गरिमापूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करने की महिलाओं की भूख का लाभ उठा कर धार्मिक कर्मकाण्ड तथा पूंजीवाद की बाजार संचालित नीतियों के अपवित्र गठबंधन ने उन्हें परिवारों की सामंतवादी परम्पराओं में काल्पनिक ऐश्वर्य के बंधनों में जकड़ डाला है। विज्ञापन एवं मीडिया उद्योगों के उत्पादों में यह बात बहुत देखने को मिलती है; महिलाओं को रंग बिरंगे एवं लुभावने अंदाज में प्रस्तुत करके भूमण्डलीय एवं राष्ट्रीय पूंजी के बाजारों का विस्तार किया जाता है और घरों तथा महिलाओं के आंतरिक संसार में उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है।

इस आठ मार्च को अधिकाधिक अलोप होती चली जा रही किन्तु महिलाओं की विशाल बहुसंख्या जो कठोर परिश्रम करती है और परिश्रम एवं थकान की छाया उनके शरीर एवं चेहरों पर स्पष्ट देखने को मिलती है, की ओर से हम कहते हैं जैसा कि 1851 में कहा गया था (सोजर्न ट्रुथ); 'क्या मैं महिला नहीं हूं?'. ."किसी व्यक्ति ने बोझा उठाने व कीचड़ से निकलने में मेरी सहायता नहीं की! क्या मैं एक महिला नहीं हूं? मुझे मुनासिब जगह नहीं दी गई! मेरी ओर देखो! मेरे बाजुओं को देखो! मैंने हल चलाया है; बीज बोए हैं; पौधे लगाए हैं; खेत खलिहानों में किसी पुरुष ने मेरी बात नहीं सुनी। और क्या मैं एक महिला नहीं हूं? मैं उतना काम करती हूं जितना एक पुरुष कर सकता है; मैं उतना खाती हूं जितना एक पुरुष खाता है– मैं वह सब झेलती हूं और काम करती हूं; फिर भी क्या मैं एक महिला नहीं हूं ?....मैंने तेरह बच्चों को जन्म दिया और उन्हें बेच दिया ताकि वे गुलाम बन सकें...क्या मैं एक महिला नहीं हूं? लोग बाग बातें खूब बनाते हैं पर उनके पास करने के लिये कुछ नहीं है (जमावड़े के लोग, कानाफूसी करने वाले, बुद्धिजीवी)। यह सब ठीक है पर वे लोग महिला अधिकारों के लिये क्या कर रहे हैं... मुझे देने के लिये बहुत कम पर पुरुष के लिये मुझसे ज्यादा। क्या मैं उसका आधा भाग हूं? (सोजर्न ट्रुथ– 1795–1883). ..न्यू यार्क स्टेट में जन्मी और 1827 में दासत्व से मुक्त कराई गई इसाबेला ने 1851 में महिलाओं के एक सम्मेलन में भाषण करते हुए मताधिकार देने की मांग की थी।

इन शब्दों की गूंज पिछले 154 वर्षों से सभी महाद्वीपों एवं राष्ट्रों में सुनाई दे रही है; उसने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को उठाया था; कामकाजी महिलाओं की महान प्रतीक अथवा प्रवक्ता की बातों पर उनके समकालीन चिंतकों की ओर से अलग–अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई थीं। उनमें से कुछेक का कहना था, 'उसे बोलने मत दो, मिस्टर जार्ज; यह हमें तबाह कर देगी। दुनिया की प्रत्येक अख्बार में इसके समाचार प्रकाशित होंगे।' उन सब के लिये मेरा यही उत्तर था, 'हम देखेंगे, समय तो आ लेने दो!'

और समय आ गया, जब छोटे बड़े सभी लोगों ने उस समय तालियां बजाई जब वह अपनी जगह से चली और डायस पर जाकर बोलने लगी।

यह समय 8 मार्च, 1857 को आ गया जब कामकाजी महिलाओं ने न्यू यार्क शहर की गलियों में मार्च किया। प्रदर्शनकारियों की बहुसंख्या वस्त्र उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की थी; वे अल्प वेतनों, 12 घण्टों के कामकाजी दिवस तथा सामान्य रूप में अमानवीय कामकाजी स्थितियों के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शन पर धावा बोल दिया जिसके फलस्वरूप अनेक श्रमिक घायल हो गए और अनेक श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया गया।

यह समय 8 मार्च, 1908 को आया जब कामकाजी महिलाओं की ओर से जुझारू कार्रवाई की गई; यह उनकी पहली कार्रवाई थी; उन्हीं मुद्दों को लेकर हजारों भूखी प्यासी महिलाओं ने शहर की सड़कों पर मार्च किया; ये महिलाएं महिलाओं के लिये मताधिकार तथा

बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की मांग भी कर रहीं थीं।

यह समय 1910 में कोपेनहेगन में आया जब अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन ने महिलाओं के पिछले संघर्षो तथा श्रम आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण करते हुए कामकाजी महिलाओं के अन्तर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह घोषणा एक समाजवादी तथा जर्मनी की श्रमिक नेता क्लारा ज़ेटकिन के नेतश्त्व में की गई थी।

यह समय 1911 में आया जब जमर्नी, आस्ट्रिया, डेनमार्क तथा दूसरे युरोपीय देशों के समाजवादियों की ओर से हड़ताल की गई तथा मार्च किये गए। रूस की क्रांतिकारी तथा नारीवादी नेत्री अलेक्सांद्रा कोलानताई जिसने कार्यक्रम के आयोजन में सहायता दी थी, ने इसका वर्णन इन शब्दों में किया था ''मानों महिलाओं का समुद्र ही उमड़ पड़ा हो।''

यह समय 8 मार्च, 1917 अर्थात् अत्यंत प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आया जब सेंट पीटरबर्ग में रूसी महिलाओं के नेतश्त्व में रोटी तथा शांति के लिये हड़ताल की गई थी। इस हड़ताल के साथ दंगे शुरू हो गए जो 8–12 मार्च के बीच पूरे शहर में फैल गए थे; इसके फलस्वरूप फरवरी क्रांति का सूत्रपात हुआ और जार की दमनकारी सत्ता का अंत हुआ था।

यह समय 1917 के बाद आया जब सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। दमनकारी एवं युद्धोन्मादी साम्राज्यवादियों के पंजों से महिलाओं को मुक्ति मिली थी और रूस की क्रांति में महिलाओं की भूमिका को सम्मान दिया गया था; जब अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने समाजवादी कैलेण्डर में 8 मार्च के दिन अपना स्थान हासिल कर लिया था; वर्ष 1921 में यह तिथि आधि ाकारिक बना दी गई; जब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की अन्तर्राष्ट्रीय महिला सचिवमण्डल की बैठक में भाग लेने आई बुलगारिया की महिलाओं ने एक प्रस्ताव पेश करके मांग की थी कि 8 मार्च को पूरे विश्व भर में एक साथ अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। आगे चल कर यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में भी पारित हो गया।

इस प्रकार 8 मार्च के क्रांतिकारी इतिहास की बुनियाद रखी गई थी; बीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षो में प्रतिक्रांतिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था और साम्राज्वाद की ओर से नये सिरे से हमले किये जाने लगे थे। साम्राज्यवादी शक्तियों का साहस बढ़ गया है; अमरीका के नेतृत्व में उन्होंने इराक पर हमला करके अपनी अपार सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया है; विशालकाय एवं अत्यंत केन्द्रीयकृत बहुराष्ट्रीय पूंजी ने आइएमएफ, विश्व बैंक तथा डब्ल्यूटीओ जैसे अपने अभिकरणों के माध्यम से वित्त तथा उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में श्रमजीवी जनता को अपने कायदे कानून मानने के लिये मजबूर किया जा रहा है; उन पर आर्थिक प्रहार किये जा रहे हैं। वर्तमान युग के साम्राज्यवाद के खिलाफ एक नयी शक्ति जुटा कर लड़ना ही होगा। कामकाजी महिलाओं के आंदोलन को यह ऐतिहासिक कार्य अपने हाथों में लेना होगा; उसने पहले भी यह काम अपने हाथ में लिया था और अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसे प्रतिष्ठित किया था; वह भी उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) की आंधी चलने लगी थी और जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था।

समानता की ओर महिलाओं के बढ़ते कदमों को प्रतिगामी धार्मिक मूलवाद के प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा था। इतिहास के मौजूदा चरण को विरासत में मिलीं बढ़ती असुरक्षाओं के कारण उपजी निराशाओं ने इन मूलवादी आंदोलनों को पनपने में सहायता दी है। मौजूदा दौर में पूंजीवादी और अधिकतर साम्राज्यवादी शक्तियों का विकास संसाधनों को अपने कब्जे में लेकर उनका दोहन करने और किसानों तथा कामकाजी गरीब लोगों पर आधारित विशाल मानव संसाधनों का उपयोग करने से सम्भव हो सकता है; इन गरीब श्रमिकों तथा किसानों की विशाल बहुसंख्या अर्ध विकसित देशों में रहती है। धार्मिक मूलवाद का चाहे जो रंग हो पर वह महिलाओं के अधिकारों पर हमला जरूर करता है; यह बात हम सब जानते हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में उसकी अवधारणा को प्राचीन तथा मध्यकालीन पितृसत्तात्मकता से ऊर्जा मिलती है जहां महिलाओं की समानता का विरोध किया जाता था और यही कहा जाता था कि उसे घर की चारदीवारी में ही बंद रहना चाहिये।

भले ही हम 8 मार्च को सभी देशों में महिलाओं तथा श्रमिकों की एकजुटता के दिवस के रूप में मनाते हैं; फिर भी इस दिन हमें सामूहिक तौर पर हमारे अपने देश में कामकाजी महिलाओं की चिंताओं, उनकी विशिष्ट मांगों की समीक्षा करनी होगी और उनके लिये अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। पिछले एक दशक तथा उससे अधिक समय में प्राप्त हमारा अनुभव यही दर्शाता है कि उदारीकरण की नीतियों तथा भूमण्डलीय पूंजीवादी एजेंडा के साथ निकट सहयोग के परिणामस्वरूप किसान जनता की विशाल श्रेणियों की आजीविका को क्षति पहुंची है और उसके साथ ही साथ संगठित तथा असंगठित मैन्युफैक्चरिंग दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या को रोजगार से बाहर निकाल दिया गया है। देश की जनता ने सामूहिक तौर पर साम्प्रदायिक राजनीतिक कार्यक्रम को ठुकरा दिया है; हमने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई थी जिस पर हमें गर्व है। भाजपा के नेतश्त्व वाली एनडीए सरकार इसी के चलते सत्ता से बेदखल हो गई। साम्राज्यवादी शक्तियों की ओर से संचालित नव उदार भूमण्डलीयकरण की नीतियों का प्रतिकार करने के साथ ही साथ हमें धार्मिक मूलवादी तथा साम्प्रदायिक शक्तियों से विरासत में मिले महिला अधिकारों का विरोध करने के कार्यक्रम तथा विभाजक शक्तियों के विरुद्ध भी संघर्ष करना होगा। □

8 मार्च : अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

बिहार

कामकाजी महिलाओं की बिहार समन्वय समिति और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की बिहार इकाई की ओर से 8 मार्च, 2005 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पटना के कारगिल चौक में धरना दिया गया। विभिन्न उद्योगों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं तथा महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। धरनाकारी मांग कर रहे थे कि न्यूनतम वेतनों, प्रसूति लाभ तथा शिशु पलना गश्ह जैसे लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के साथ–साथ सभी कामकाजी महिलाओं को दिये जाएं और इन नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए; महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाया जाए; गश्ह आधारित उद्योग धंधों में लगे श्रमिकों तथा घरेलू नौकरों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए। उनकी ओर से सौ कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन राज्यपाल को भेंट किया गया। कामकाजी महिलाओं की बिहार समन्वय समिति की अध्यक्ष रामपुकारी देवी तथा दूसरे नेताओं ने धरनाकारियों को सम्बोधित किया।

छत्तीसगढ़

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिये धमतरी के मार्किट सक्वेयर में 10 मार्च, 2005 को एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें बीड़ी उद्योग में काम करने वाली 300 से अधिक महिलाओं तथा मण्डी में काम करने वाले श्रमिकों ने भाग लिया। श्रमिक एकता यूनियन, बेलगाडी तथा थेलावन यूनियन के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त अनेक पुरुष श्रमिकों ने भी इस सभा में भाग लिया। लाल झण्डा बीड़ी मजदूर एकता यूनियन के कोषाध्यक्ष शांति कश्यप ने इस सभा की अध्यक्षता की।

सीआइटीयू जिला समिति की कोषाध्यक्ष तथा कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की संयोजक अंजना बाबर ने विकासशील देशों में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार पर भूमण्डलीयकरण की नीतियों के दुष्प्रभावों पर विस्तार में चर्चा की। उन्होंने महिलाओं के बढ़ते उत्पीड़न तथा हिंसा की निंदा की और इन मामलों में श्रमिक संघों की ओर से हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया; उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को नेतश्त्वकारी पदों पर लाया जाएगा और उसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा तभी श्रमिक संघों का उनके मामलों में हस्तक्षेप सम्भव हो सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहिये।

सीआइटीयू की छत्तीसगढ़ राज्य समिति के अध्यक्ष अजीत कुमार लाल ने अपने भाषण में अपने भाषण में उन कारणों पर प्रकाश डाला जो पूंजीवादी समाज में महिलाओं को निम्नतर दर्जा दिलाते हैं। उन्होंने समाज में पुरातनपंथी तथा सामंतवादी विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके तथा समाज में व्याप्त उपभोक्तावादी विचारों के विरुद्ध संघर्ष चलाए बिना महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता। दरिद्रता, निरक्षरता तथा अंध विश्वास महिलाओं की प्रगति को बाधित करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक समाज को बदलने के लिये जारी संघर्षों में महिलाओं को व्यापक स्तर पर लामबंद नहीं किया जाएगा तब तक समाज में महिलाओं के दर्जे को बदला नहीं जा सकता। मण्डी वर्कर्स एकता यूनियन की उपाध्यक्ष जानकी बाई के धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा समाप्त हो गई।

(रिपोर्ट : अंजना बाबर)

तमिलनाडु

आठ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चेन्नै में राज भवन के निकट एक विशाल प्रदर्शन तथा सभा का आयोजन किया गया। यह दिवस मांग दिवस के रूप में मनाया गया। इस सभा का आयोजन संयुक्त रूप से कामकाजी महिलाओं की नार्थ चेन्नै तथा साउथ चेन्नै जिला समन्वय समिति की ओर से किया गया था।

राज भवन के समीप एक महत्वपूर्ण चौराहे चिन्नामालाई में लगभग एक हजार कामकाजी महिलाएं एकत्रित हुई जो चेन्नै शहर के सभी इलाकों से आई थीं। उनकी ओर से अपनी 13 सूत्रीय मांगों के पक्ष में नारे लगाए गए। सीआइटीयू के सचिव ए के पद्मनाभन, कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की संयोजक मालथी चित्तीबाबू, संयुक्त संयोजक एम राजेश्वरी तथा भगवती, टीएनजीइए की सचिव एम तमिलसेलवी, आइसीडीएस तमिलनाडु की महासचिव के तमिलारासी और बैंक, बीमा, बीएसएनएल तथा विद्युत सहित दूसरे उद्योगों में सक्रिय श्रमिक नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया। संयुक्त संयोजक एस प्रेमा की ओर से सभा की अध्यक्षता की गई। धनलक्ष्मी (ईबी) ने स्वागत भाषण दिया और धन्यवाद भाषण कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की संयुक्त संयोजक टी ए लता की ओर से दिया गया।

इस सभा के दौरान मालथी, टी ए लता, एम भवाथी, के तमिलरासी (आइसीडीएस), आनंदसेल्वी (बीमा) तथा गणसुन्दराई (बीएसएनएल) पर आधारित

एक प्रतिनिधिमण्डल राज्यपाल से मिलने के लिये राज भवन गया। प्रतिनिधिमण्डल की ओर से राज्यपाल को अपनी मांगों पर आधारित एक ज्ञापन भेंट किया गया जिस पर पूरे तमिलनाडु की पचास हजार से अधिक कामकाजी महिलाओं के हस्ताक्षर थे।

राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत किया और उसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा, "यह अच्छा प्रतिनिधित्व है; आपने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे राज्य भर में भारी संख्या में कामकाजी महिलाओं के हस्ताक्षर जमा करके आपने कठिन परिश्रम किया है।" हमने उनसे अनुरोध किया कि वह इस ज्ञापन को अपनी सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार के पास भेज दें ताकि कामकाजी महिलाओं की शिकायतों तथा मांगों का उचित समाधान कराया जा सके। राज्यपाल ने उत्तर दिया, "मैं इसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेज दूंगा।"

इससे पूर्व सीआइटीयू की तमिलनाडु राज्य समिति की ओर से 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की सम्बन्ध में अनेक पहलकदमियां की गई। बैंकों, बीमा, राज्य सरकारी कर्मचारियों, आइसीडीएस, बीएसएनएल, इत्यादि के यूनियन नेताओं की एक बैठक का आयोजन 9 फरवरी, 2005 किया गया था जिसमें सीआइटीयू की राज्य समिति के महासचिव ए सौंदाराजन तथा सीआइटीयू के सचिव ए के पद्मनाभन ने भी कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की नेताओं के साथ भाग लिया था। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार, शिक्षकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आंगनवाड़ी, वीएचएन, एमपीएचडब्ल्यू इत्यादि विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित कामकाजी महिलाओं ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

सम्बन्धित श्रमिक संघों की जिला समितियों/इकाईयों ने अपने-अपने संगठनों की ओर से परिपत्र जारी किये और उन्हें 8 मार्च के कार्यक्रम की लामबंदी करने के लिये कहा गया। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं के हस्ताक्षर कराने के लिये ज्ञापन की प्रतियां भी उन्हें भेजी गई। चेन्नै में नार्थ चेन्नै तथा साउथ चेन्नै दोनों इकाईयों की ओर से सभा का आयोजन किया गया और पूरे तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं से कराए गए हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन राज्यपाल को भेंट किया गया। दूसरे जिलों के बारे में यह फैसला किया गया था कि प्रदर्शन/रैली का आयोजन किया जाएगा और जिला कलैक्टर को ज्ञापन भेंट किये जाएंगे।

नार्थ तथा साउथ चेन्नै के विभिन्न यूनियन नेताओं ने बैठक की और रैली के आयोजन की योजना तैयार की। चेन्नै में, उपनगरीय रेलगाड़ियों, औद्योगिक नगरों, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, रेलवे के मकैनिकल यार्ड तथा दूसरे कार्यालयों एवं कारखानों में जाकर हस्ताक्षर कराए गए।

इसकी तैयारियों के सम्बन्ध में मदुराई, थेनी, विरुदुनगर, इरोडे, कोयम्बटूर ईस्ट तथा वेस्ट में सभाओं का आयोजन किया गया। डिंडीगुल में एक विशेष जिला स्तरीय सभा का आयोजन किया गया।

कांचीपुरम, मदुराई शहरी, इरोडे, विरुदुनगर, कोयम्बटूर – ईस्ट तथा वेस्ट, करूर, धर्मापुरी तथा त्रिची में जिला समितियों की ओर से हस्ताक्षर एकत्रित किये गए। यह हस्ताक्षर अभियान एआइआइईए, बीएसएनएल-ईयू, बीईएफआइ, टीएनजीईए जैसे संगठनों के माध्यम से भी चलाया गया। पूरे राज्य में कराए गए हस्ताक्षर राज्य केन्द्र में प्राप्त किये गए और उन्हें राज्यपाल को भेंट कर दिया गया।

अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार मदुराई, डिंडीगुल, करूर, इरोडे, कोयम्बटूर ईस्ट तथा वेस्ट, नीलगिरी और थेनी में 8 मार्च को प्रदर्शनों एवं सभाओं का आयोजन किया गया। विरुदुनगर तथा पांडिचेरि में सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने इस बार महिलाओं में भारी उत्साह का संचार किया है। कामकाजी महिलाओं की लामबंदी में यूनियन नेतश्त्व की भागीदारी रही और भारी संख्या में हस्ताक्षर कराए गए। यह एक अच्छा परिवर्तन था। दुर्भाग्यवश, पुलिस अधिकारियों ने जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी; यदि ऐसा न हुआ होता तो इन कार्यक्रमों का और अधिक प्रभाव पड़ता।

(रिपोर्टः मालथी चित्तीबाबू)

पेज पांच का शेष

सम्मेलन के लिये सघन प्रचार अभियान चलाने और इसके लिये राज्य में विभिन्न जिलों में लगभग 250 आंगनवाड़ी श्रमिकों को लामबंद करने का फैसला किया गया। बैठक में सदस्यता अभियान शुरू करने, यूनियन की सदस्य संख्या को बढ़ाने और जून 2005 के अंत में राज्य सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय भी लिया गया। एक पांच सूत्रीय मांग पत्र पारित किया गया जिसमें ईंधन के खर्चे में बढ़ोतरी, सुपरवाइजरों के रिक्त पड़े सभी पदों को भरने तथा उनमें पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने, आंगनवाड़ी केन्द्रों में पौष्टिक आहार तथा दूसरा सामान ले जाने के लिये परिवहन सुविधा प्रदान करने, अतिरिक्त काम के लिये अतिरिक्त पारश्रमिक देने, उत्सवों पर एक्स ग्रेशिया का भुगतान करने तथा नियमित रूप से यात्रा भत्ते का भुगतान करने जैसी मांगें शामिल हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि संघर्ष के पहले चरण में बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञापन भेंट किये जाएंगे और उसके पश्चात् और अधिक व्यापक एवं सघन अभियान चलाए जाएंगे। □

बजट 2005-06 और लोगों पर करों का बोझ

आय कर

आय कर में छूट की सीमा को बढ़ा कर उसे एक लाख रुपये कर दिया गया है और कर योग्य न्यूनतम राशि की सीमा में संशोधन करके उसे 1.01 लाख रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 1.51 लाख रुपये से लेकर 2.50 रुपये तक 20 प्रतिशत और 2.50 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। यह दावा किया जा रहा है कि इससे वेतनभोगी श्रेणी को व्यापक स्तर पर लाभ होगा। किन्तु क्या यह दावा वास्तविकता की कसौटी पर खरा उतरता है? यह कहना थोड़ा मुशकिल है। तीस हजार रुपये की मानक कटौती का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है; इसके फलस्वरूप वेतनभोगी श्रेणी को आय कर की सीमा में जो छूट मिली है, उसमें पर्याप्त कमी हो जाएगी; यह कहना गलत नहीं होगा कि आय कर की सीमा में बढ़ोतरी से जो लाभ मिले हैं वे मानक कटौती का प्रावधान समाप्त कर दिये जाने के चलते उन कर्मचारियों के मामले में जिनकी कर योग्य आय 2.5 से लेकर 3 लाख रुपये के बीच है, निष्प्रभावी होकर रह जाएंगे; इन कर्मचारियों की बहुसंख्या संगठित क्षेत्र में काम करती है और ये श्रमिक अथवा कर्मचारी अपनी यूनियन बना सकते हैं। केवल वही श्रमिक अथवा कर्मचारी जो उल्लेखनीय सीमा तक बचत कर सकते हैं वे बजट में प्रदान की गई राहत से लाभ उठा सकेंगे। इसलिये सबसे निचली स्तह के कर दाताओं की विशाल संख्या के लिये यह तस्वीर उज्जवल नहीं है जिसका दावा किया जा रहा है।

बरिष्ठ नागरिक

नव उदारीकरण की सत्ता में ब्याज दरें कम होती चली जा रही हैं; बद से बदतर होती चली जा रही इस स्थिति में सबसे अधिक मार कर्मचारियों एवं श्रमिकों की इसी श्रेणी को झेलनी पड़ रही है। उन्होंने लघु बचत योजनाओं के माध्यम से अपने पूरे कामकाजी जीवन में जो बचतें की थीं, उन पर होने वाली आय प्रत्येक वर्ष कम होती चली जा रही है। बजट में आय कर के मामले में जो प्रस्ताव किये गए हैं, उनकी सबसे बड़ी गाज सेवानिवश्त्त हो चुके इन्हीं बरिष्ठ नागरिकों पर गिरी हैं।

वर्तमान में एक बरिष्ठ नागरिक को 1.98 लाख रुपये की वार्षिक कर मुक्त आय की सुविधा प्राप्त है; यह राशि उसकी 1.53 लाख रुपये की वार्षिक पेन्शन/वार्षिकी अथवा वार्षिक भशति (आय का वह स्तर जहां बरिष्ठ नागरिक आय कर में 15,000 रुपये की छूट पाने का हकदार है, सेक्शन 80-एल के अन्तर्गत वह इस छूट का लाभ उठा सकता है), सेक्शन 16 के अन्तर्गत इस प्रकार की आय पर 30,000 रुपये की मानक कटौती; सेक्शन 80-एल के अन्तर्गत बैंक एवं डाक घर में जमा खातों से 12,000 रुपये तथा सरकारी प्रतिभूतियों से 3000 रुपये तक की होने वाली कर मुक्त आय पर आधारित होती है। इसके विपरीत वर्ष 2005-06 के बजट में कर मुक्त आय केवल 1.50 लाख रुपये रखी गई है अर्थात् उनकी आय में 48,000 रुपये की कटौती कर दी गई! (क्योंकि दोनों मानक कटौतियों तथा सेक्शन 80-एल के अन्तर्गत ब्याज से होने वाली आय पर दी गई छूट को समाप्त कर दिया गया है)।

एक और उदाहरण दिया जाता है; एक बरिष्ठ नागरिक जिसकी वार्षिक आय उसे मिलने वाली पेन्शन सहित 2 लाख रुपये है, को नये बजट के अन्तर्गत पहले से 8,600 रुपये अधिक का आय कर देना होगा। वह भविष्य में और अधिक बचतें करके अपनी कर देनदारी को कम कर सकता है; एक सेवानिवश्त्त कर्मचारी के लिये यह बात व्यावहारिक नहीं है। इसी प्रकार, महिलाओं को 30 प्रतिशत ब्रेकिट में 2,500 रुपये तक आय कर में छूट के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। क्या यह बीमार एवं कमजोर लोगों के साथ क्रूर मजाक नहीं है?

आय कर के घेरे में आने वाले निचली स्तह के वेतनभोगियों तथा बरिष्ठ नागरिकों की इन दोनों श्रेणियों के लिये चिदाम्बरम के बजट में एक नयी एग्जैम्पट-एग्जैम्पट टैक्स सिस्टम अर्थात् ईईटी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव लाया गया है। इस नयी व्यवस्था की सबसे बड़ी मार इन दोनों श्रेणियों पर पड़ेगी। इसका उद्देश्य सावधि जमा योजनाओं में की गई बचतों जिन पर बचतें करते समय कर में छूट दी गई थी, को उनकी परिपक्वता (मूल धन और ब्याज दोनों को मिला कर) पर कर-जाल में लाना। इसलिये अब वह दिन दूर नहीं रहा जब पीपीएफ से धन निकालने, पीएफ, एसए निधियों से संचित प्राप्तियों, जीवन बीमा पालसियों में परिपक्वता पर मिलने वाली राशियों, राष्ट्रीय बचत योजनाओं में परिपक्वता पर होने वाली आय पर कर लगाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, वित्त मंत्री ने काराधान की निलम्बित प्रणाली को लागू करने का विचार आगे बढ़ाया है। इसके फलस्वरूप विशेष बचतों एवं अंशदानों जिन पर वर्तमान में कोई कर लागू नहीं होता, कल को उन पर कर लगा दिया जाएगा। इस प्रकार बरिष्ठ नागरिक (अथवा इस मामले में कोई भी नागरिक) जो उदाहरण के लिये राष्ट्रीय बचत योजना में 30,000 रुपये का निवेश करता है, को आज इस खाते में जमा कराई गई कर योग्य आय पर छूट दी जाती है, उसे अपनी बचत जमा करने छःह वर्ष की अवधि समाप्त होने अथवा जमा राशि के परिपक्व हो जाने के समय मिलने वाली कुल राशि (मूल धन जमा ब्याज) पर 20 अथवा 30 प्रतिशत तक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। सरकार की यह कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है अपितु गैर कानूनी भी है।

विरोधाभास

बजट में मुट्ठी भर व्यापारियों, कारोबारियों तथा उच्च आय वर्ग को कहीं अधिक लाभ दिये गए हैं जबकि उन दसियों लाख निचली स्तह के वेतनभोगियों तथा बरिष्ठ नागरिकों के लिये उनके पिटारे में बस छलावे ही छलावे भरे गए हैं। आय कर सम्बन्धी प्रस्तावों का असल लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय लगभग चार-पांच लाख के बीच है। नैगम कर में पांच प्रतिशत तक कटौती किया जाना इसकी एक और उदाहरण है; इससे पता चलता है कि सरकार अमीरों के लिये काम करती है जबकि गरीबों के लिये उसके बजट में केवल बयानबाजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस सम्बन्ध में और भी अनेक उदाहरणें दी जा सकती हैं। यह अपनी ही तरह का एक नया बजट है, इसमें संदेह नहीं! □

पेटेंट विधेयक, कुछ राहत पर लड़ाई अभी जारी है..

पेटेंट अधिनियम में तीसरा संशोधन पूर्ववर्ती एनडीए सरकार की ओर से दिसम्बर, 2003 में लाया गया था और मौजूदा यूपीए सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके उसे फिर से पेश किया है। इससे सम्बन्धित विधेयक संसद के बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया था। सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ देश भर में विरोध की कार्रवाईयां चल रही हैं। वामपक्षी दलों ने उसमें व्यापक संशोधन करने के सुझाव दिये थे। लगातार दबाव पड़ने के कारण आखिरकार सरकार को अपने प्रस्तावित विधेयक में प्रावधानों पर पुनर्विचार करना पड़ा और उसकी ओर से विधेयक में अनेक संशोधन पेश किये गए। ये संशोधन निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में कुछ विशेष चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं:

1.पेटेंट अधिकार पर अंकुशः संशोधन के जरिए स्पष्ट किया गया है कि 'अविष्कारक कदम' का अर्थ है, अविष्कार का एक ऐसा तत्व जो 'मौजूदा ज्ञान के मुकाबले प्रौद्योगिकीय प्रगति को दिखाता हो या जिसका आर्थिक महत्व हो या दोनों बातें हों; इन संशोधनों में 'नये अविष्कार' की एक नयी परिभाषा को भी जोड़ा गया है और स्पष्ट किया गया है कि इसका अर्थ है, "कोई अविष्कार या प्रौद्योगिकी जिसका पूरे वा ठोस विवरण के साथ पेटेंट की अर्जी दिये जाने की तारीख से पहले किसी दस्तावेज में प्रकाशन के जरिए पूर्व–संकेत न किया गया हो या देश में या फिर दुनिया में और कहीं भी उपयोग न हो रहा हो अर्थात् सम्बन्धित विषय सार्वजनिक धरातल पर न आया हो या वह अधुनातम का हिस्सा न हो।" संशोधन में 'औषधीय पदार्थ' की परिभाषा भी दी गई है, जो इस प्रकार है–'एक नयी वस्तु, जिसमें एक या एक से ज्यादा अविष्कारी पग जुड़े हों।' इसके चलते छोटे मोटे परिवर्तन करके पेटेंट की बीस वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी पेटेंट अपने नाम पर बनाए रखने अथवा उस पर इजारेदारी कायम रखें जाने की कार्रवाईयों के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। संशोधनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि "किसी ज्ञात पदार्थ किसी नये रूप की खोज को ही, जिससे ज्ञात प्रभविष्णुता में बढ़ोतरी न होती हो" पेटेंट नहीं किया जा सकता है। संशोधन के जरिए आगे यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि, "साल्ट, ईस्टर, ईथर, पालीमार्फ, मैटाबोलाइट, शुद्ध रूप, कण का आकार, आइसोमर, आइसोमरों का मिश्रण, काम्पलैक्स, कम्बीनेशन तथा ज्ञात पदार्थों से बनने वाली अन्य चीजों को, वही पदार्थ माना जाएगा। हां! अगर प्रभविष्णुता के पहलू से उनके गुणों में उल्लेखनीय अंतर हो तो बात दूसरी है।" इसके अलावा क्या पेटेंट नहीं किया जा सकता है, उसके स्पष्टीकरण में 'नये उपयोग' की जो शर्त प्रस्तुत की गई है, उसके साथ लगाया गया 'मात्र' शब्द हटा दिया गया है और इस तरह किसी पहले से ज्ञात पदार्थ के नयें उपयोग के आधार पर पेटेंट अधिकार न दिये जाने से सम्बन्धित प्रावधान को और पुख्ता कर दिया गया है।

2. साफ्टवेयर पेटेंटिंग नहीं होगीः साफ्टवेयर पेटेंटिंग कराए जाने का विकल्प ही समाप्त कर दिया गया है।

3. पेटेंट की स्वीकृति से पहले विरोध का अधिकारः पेटेंट अधिकार प्रदान किये जाने का विरोध करने के सारे के सारे आधारों को बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा विरोध विरोध दर्ज कराए जाने के लिये और सुनवाई के लिये छःह महीने का समय रखा गया है।

4. विकासशील देशों द्वारा भारत से दवाओं के आयात को सुगम बनानाः ये देश भारत से दवाओं का आयात कर सकते हैं "अधिसूचना के माध्यम से अथवा भारत से उत्पादित पेटेंटशुदा दवाओं का आयात करने की इजाजत होगी।"

5. मेल बाक्स में पेटेंट अर्जियों के बाद भी दवाओं का विर्निमाण जारी रहना–कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं: नये संशोधनों में अब स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी भारतीय कम्पनियां, जो पहले ही इस तरह की दवाओं का उत्पादन कर रही हैं, सम्बन्धित दवा के पेटेंट अधिकार के दायरे में आने के बावजूद रायल्टी का भुगतान करके दवा का उत्पादन जारी रख सकती हैं। विशेष तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि "ऐसे उद्यम जो 1 जनवरी 2005 से पहले सम्बन्धित उत्पाद का निर्माण व विपणन कर रहे हों और जो पेटेंट के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद का, पेटेंट की स्वीकृति की तारीख तक विर्निमाण जारी रखे हुए हों, उस स्थिति में पेटेंटधारक को सिर्फ समुचित रायल्टी हासिल करने का अधिकार होगा और ऐसे उद्यमों के खिलाफ अतिक्रमण के लिये किसी तरह की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकेगी।"

6. अनिवार्य लायसैंसिंग की अर्जी पर विचार करने की अवधिः पेटेंटों की इजारेदारी का प्रतिकार करने के लिये संशोधनों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पेटेंटधारक द्वारा उत्पादन के लिये लाइसेंस न दिये जाने की सूरत में, पेटेंट पेटेंट के नियंत्रक द्वारा अनिवार्य लाइसेंस जारी किये जाने के लिये प्रतीक्षा की समुचित अवधि "सामान्यतः छः महीने से ज्यादा नहीं होगी।"

7. भारतीय कम्पनियों द्वारा पेटेंटशुदा दवाओं का निर्यातः संशोधनों के जरिए अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब भारत में किसी भी भारतीय कम्पनी द्वारा अनिवार्य लाइसेंस के तहत किसी पेटेंटशुदा दवा का उत्पादन किया जाता है, "लाइसेंस सबसे बढ़ कर घरेलू बाजार में आपूर्ति के काम के लिये दिया जाएगा और अगर जरूरत हो तो लाइसेंसधारक, धारा 84(7) (अ) के अनुरूप (अर्थात् जहां निर्यात बाजार मौजूद हो), पेटेंटशुदा उत्पाद का निर्यात भी कर सकता है।"

शेष पृष्ठ 15 पर

नरसापुर का लेस उद्योग

पश्चिमी गोदावरी के नरसापुर क्षेत्र में स्थापित लेस उद्योग एक सौ वर्षो से भी अधिक पुराना है। कुछ आइरिश महिलाओं ने नरसापुरम के समीप एक गांव में स्थानीय महिलाओं को एक शौक के रूप में लेस बनाने की कला सिखाई थी। इसका उद्देश्य उन्हें परिवार के लिये अतिरिक्त आय का अर्जन करने के योग्य भी बनाना था। पिछले अनेक वर्षो से यह अंशकालिक काम बढ़ता चला गया है और समय बीतने के साथ यह काम अनेक महिलाओं विशेष रूप से विधवाओं तथा वंचित महिलाओं के लिये आजीविका का एकमात्र साधन बन कर रह गया है। स्थानीय महिलाएं जिनमें से अधिकांश उच्च जातियों की हैं और जो पर्दा प्रथा में जकड़ी हुई हैं जिन्हें घरों से बाहर जाने नहीं दिया जाता, वे इस कला का उपयोग करके कुछ धन का अर्जन करती हैं; उनकी यह आय पुरुषों द्वारा अर्जित आय के अतिरिक्त होती है। वर्तमान में यह उद्योग विकास करता हुआ गृह आधारित उद्योग धंधा बन चुका है और लगभग दो लाख महिलाओं की आजीविका इस उद्योग पर निर्भर करती है। यह उद्योग अधिकतर आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के नरसापुरम तथा पालाकोल तालुकों और पूर्वी गोदावरी जिले में राजोले तालुक में फैला हुआ है।

क्षेत्र में उच्च जाति के परिवारों की परम्पराएं तथा रिवाज महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रहने के लिये मजबूर करते हैं; ये महिलाएं निरक्षर तथा अज्ञानी होती हैं जिसका लाभ उठा कर लेस उद्योग के व्यापारी, ठेकेदार तथा मालिक लोग उनका बर्बर शोषण करते हैं। ये व्यापारी उन्हें यार्न सिल्क, अपरिष्कृत अथवा मोटा धागा अथवा परिष्कृत धागा और लेस का डिजाइन दे देते हैं और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर काम समाप्त करने के लिये कहा जाता है। ये बनाई गए वस्तुएं तथा डिजाइन बिचौलिये एकत्रित करते हैं और व्यापारी राष्ट्रीय बाजार में उसे भारी दामों में बेच देते हैं अथवा उनका निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के लिये कर देते हैं। जहां दूसरे देशों में ये लेस बेच कर व्यापारी तथा बिचौलिये करोड़ों रुपये अर्जित कर लेते हैं वहीं इन्हें बनाने वाली महिलाएं घोर दरिद्रता में ही जीवन यापन करने के लिये विवश होती हैं।

उनके शोषण की भयावहता को देख कर सीआइटीयू तथा कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति के एक दल की सदस्याओं को भारी दुःख हुआ था। यह दल इस क्षेत्र के अनेक गांवों – डोड्डिपाटला, मेडापाडु, कोंटेरू तथा वरिधानाम का दौरा करने के लिये गया था; ये गांव पालाकोल तथा नरसापुर तालुकों में है। सीआइटीयू की सचिव डाक्टर हेमलता, सीआइटीयू की पश्चिम गोदावरी जिला समिति के महासचिव के राजा रामा मोहना राव, कामकाजी महिलाओं की जिला समन्वय समिति की संयोजक सुहासिनी और पश्चिम गोदावरी जिला लेस श्रमिक एवं कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष शेशा रत्नम पर आधारित इस दल ने लेस बनाने के काम में लगीं इन गांवों की अनेक महिलाओं के साथ बातचीत की।

इन महिलाओं को सामान्य रूप में अपरिष्कश्त धागे के आधा किलो का बंडल अथवा परिष्कश्त धागे का 150 ग्राम बंडल दिया जाता है। महिलाओं को 500 ग्राम अपरिष्कश्त धागे से लेस बनाने में प्रायः 10–15 दिनों का समय लग जाता है। इसके लिये उन्हें दिन में 7–8 घण्टे काम करना पड़ता है। इसी प्रकार, 150 ग्राम परिष्कश्त धागे से लेस बनाने में उन्हें लगभग 5–6 दिनों का समय लग जाता है और इसके लिये उन्हें दिन में लगभग 6 घण्टे काम करना पड़ता है। जितना धागा इस्तेमाल किया गया हो उसी हिसाब से उन्हें वेतन का भुगतान किया जाता है। पिछले अनेक वर्षो में और तीन मास पहले तक उन्हें 500 ग्राम अपरिष्कश्त धागे के बंडल से लेस बनाने पर 30–40 रुपये मिलते थे। किन्तु पिछले तीन महीनों से उनके वेतनों में कुछ वश्द्धि हुई है। वर्तमान में, उन्हें 500 ग्राम के प्रति बंडल पर 60 से 120 रुपये के बीच वेतन का भुगतान किया जाता है।

वेतनों की वश्द्धि को लेकर महिलाओं में हैरानी पाई जाती है; वे समझ नहीं पा रहीं कि यह वेतन वृद्धि कैसे हुई है। पहले उन्होंने सोचा था कि वेतनों में वश्द्धि लेस पार्क (लेस श्रमिकों की सहकारी सभाओं की फैडरेशन) की ओर से की गई होगी क्योंकि इसके लिये सीआइटीयू की ओर से पर्चे बांट कर वेतन बढ़ाने की मांग की गई थी। सीआइटीयू ने मांग की थी कि निर्यातों के आर्डर बढ़ जाने की स्थिति में लेस श्रमिकों के वेतनों में बढ़ोतरी की जाए।

लेस पार्क की स्थापना सरकार की ओर से की गई थी; इसकी ओर से गांवों में सहकारी सभाओं के सदस्यों को नये डिजाइनों तथा उनके मूल्य संवर्धन के मामले में प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि लेस का नया डिजाइन बनाया जाना है तो उस स्थिति में लेस पार्क का प्रतिनिधि महिलाओं को नये डिजाइन के बारे में शिक्षित करता है; प्रशिक्षण की अवधि में प्रत्येक महिला को 20 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। व्यापारियों के एजेंट भी अब यह काम करने लगे हैं। डिजाइन बनाने का प्रशिक्षण देने के बाद एजेंट यह निर्धारित करता है कि निश्चित समय में कितने पीस तैयार किये जाएं। महिलाओं को काम पूरा करने के लिये दिन में 7–8 घण्टे काम करना पड़ता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद भी उन्हें 20 रुपये दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है। यदि महिलाएं काम पूरा करने के लिये निश्चित समय से अधिक समय तक काम करती हैं तो उन्हें उसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाता।

महिलाओं पर निर्धारित समय के भीतर काम समाप्त करने का दबाव रहता है इसलिये उनके परिवारों में कलह रहने लगती है। अपना काम पूरा करने के चक्कर में ये महिलाएं जल्दबाजी में अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निपटाती है। इसके कारण परिवार के पुरुष सदस्य खफा होते हैं। उनकी नजर में इस काम का कोई मोल नहीं होता क्योंकि इसके बदले में परिवार को बहुत कम धन की प्राप्ति होती है।

क्योंकि इन महिलाओं को परम्परागत तौर पर घर से बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं दी जाती इसीलिये ये महिलाएं इतने अल्प वेतनों पर यह काम करने के लिये मजबूर होती हैं। बालिकाओं को भी पाठशालाओं में जाकर शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति तभी तक दी जाती है जब तक वे तरुणियां नहीं बन जातीं। वे केवल पांचवीं कक्षा तक पढ़ पाती हैं क्योंकि उनके गांव में केवल एक पाठशाला होती है। आज भी ये पुरानी परम्पराएं बहुत मजबूत हैं; अनेक महिलाओं का कहना था कि वे जानती हैं कि लेस पार्क में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने से उनकी कामकाजी मेधा का विकास होगा और वे पहले से अधिक राशि अर्जित कर सकेंगी किन्तु सामाजिक बंधनों के चलते वे इसका लाभ उठा पाने की स्थिति में नहीं हैं।

इन गांवों में लेस बनाने का काम करने वाली महिलाओं के मन में यह बात घर कर गई है कि समाज में महिलाओं के काम का मूल्य कमतर होता है। विपणन की उपयुक्त सुविधाओं के अभाव भी उनके आड़े आता है; उन्हें अत्यंत अल्प पारिश्रमिक पर यह काम करना पड़ता है और वे काम के कमरतोड़ बोझ के तले दबी रहती हैं। मेडापाडु गांव की अंतालक्ष्मी जो स्वः रोजगार पर लगी है, का कहना था कि वह लेस सोफा कवर बनाने के लिये 500 ग्राम धागा 80 रुपये में खरीदती है। सोफा सेट बनाने के लिये उसे 120 ग्राम धागे की आवश्यकता होती है जो उसे 120 रुपये में मिलता है। वह एक महीने तक प्रतिदिन 6 घण्टे काम करके एक सोफा सेट तैयार कर लेती है। वह जब उसे बाजार में ले जाती है तो उसे उसके लिये 200 रुपये से अधिक राशि का भुगतान करने वाला कोई ग्राहक नहीं मिलता। इसका तात्पर्य यही हुआ कि वह 80 रुपये से अधिक ध ान का अर्जन करने में सक्षम नहीं है और वह भी धागे की कीमत को निकाल लेने के बाद; उसके लिये एक महीने तक काम किया सो अलग! जब यह पूछा गया कि वे यह काम क्यों करती हैं जबकि इसके लिये उन्हें अत्यंत अल्प पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है तो उन सभी महिलाओं का यह कहना था, "हम कम से कम कुछ तो कमा लेती हैं। यदि हम खाली बैठी रहेंगी तो हमें क्या मिलेगा?" उनकी इस असहाय अवस्था का लाभ उठा कर व्यापारी उनका शोषण करते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे व्यापारी तथा एजेंट भी हैं जिन्होंने इस धंधे से लाखों रुपये कमाए हैं; वे लखपति बन गए, किन्तु वास्तव में यह काम करने वाली कामकाजी महिलाएं घोर दरिद्रता की दलदल में फंसी रह जाती हैं।

सीआइटीयू की जिला समिति तथा कामकाजी महिलाओं की जिला समन्वय समिति ने कुछ वर्ष पूर्व नरसापुर की इन कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के लिये प्रयास किये थे, किन्तु कामकाजी महिलाओं को यह भय सता रहा था कि यदि उन्होंने संगठित होने का प्रयास किया तो उन्हें मालिकों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और उनकी आय पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वे सीआइटीयू कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिये भी कुछ समय निकालने के लिये तैयार नहीं हुई क्योंकि वे काम के इस बहुमूल्य समय को खोना नहीं चाहती थीं और इस समय का सदुपयोग करके वे अपना काम पूरा कर सकती थीं।

तथापि, इस बार स्थिति में कुछ सीमा तक बदलाव नजर आया। उन्होंने न केवल वे बातें धैर्य से सुनी जो सीआइटीयू के कार्यकर्ता उन्हें कहना चाहते थे बल्कि वे इस बात पर भी सहमत हो गईं कि संगठन बनाने से उन्हें मजबूती मिलेगी। सीआइटीयू ने 'वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट लेस वर्कर्स एण्ड इम्पलाईज यूनियन' के नाम से उनकी ट्रेड यूनियन का पंजीकरण कराया है और 18 मार्च, 2005 को यूनियन के पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शहर के समीपवर्ती विभिन्न गांवों में लेस का काम करने वाली लगभग 100 महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष शेषा रत्नम ने की। सीआइटीयू की सचिव डाक्टर हेमलता, सीआइटीयू की पश्चिम गोदावरी जिला समिति के महासचिव के राजा रामा मोहन राव, यूनियन की महासचिव और कामकाजी महिलाओं की पश्चिमी गोदावरी जिला समन्वय समिति की सुहासिनी तथा दूसरे नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। लेस बनाने वाली अनेक महिलाओं ने इस अवसर पर अपनी समस्याओं की चर्चा की। सम्मेलन ने एक समिति का चुनाव किया और इन मुद्दों को लेकर एक अभियान चलाने का फैसला किया। सम्मेलन में कामकाजी महिलाओं से भारी संख्या में सहकारी सभाओं में शामिल होने और लेस पार्क की कार्य प्रणाली को प्रभावी हो, इसे सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन ने सभी लेस श्रमिकों को न्यूनतम वेतन तथा दूसरे सेवा लाभ देने की मांग भी की। □

पृष्ठ 13 का शेष

दो अन्य संशोधनों के प्रश्न पर – एक संशोधन माइक्रोआर्गनिज्म अथवा सूक्ष्म जीवों को पेटेंट अधिकार के दायरे से बाहर रखा जाए और दूसरा संशोधन यह था कि नये पदार्थ या नयी वस्तु की ठोस परिभाषा की जाए – सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी जो इन मुद्दों पर विचार करेगी तथा अपनी सिफारिश देगी।

इन संशोधनों को जोड़े जाने के फलस्वरूप इस प्रश्न पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का हमारा संघर्ष निश्चित रूप से आगे बढ़ा है। किन्तु हमारी लड़ाई अब भी जारी है। □

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स (ए आई एफ ए डब्ल्यू एच)

की

आई सी डी एस के नियमितीकरण पर
राष्ट्रीय कन्वेंशन

वी पी हाउस लाउंस, नई दिल्ली

26 अप्रैल 2005

उद्घाटन: चित्तब्रत मजूमदार सांसद, जनरल सैक्रेट्री, सीआईटीयू

मुख्य अतिथि : डॉ. सैय्यद हमीद, सदस्य योजना आयोग

वक्ता : डॉ. जयति घोष (अर्थशास्त्री), डॉ. कमला मैनन (विक्षाविद)

डॉ. वंदना प्रसाद (जन स्वास्थ्य अभियान), जन संगठनों के नेता, सांसद तथा विभिन्न राज्यों के ट्रेड यूनियन नेता

मांगें

- आंगनवाड़ी केंद्रों का क्रेच और दिन के समय देखभाल केंद्रों के रूप में विकास किया जाना चाहिए।
- भारत सरकार महिला व बाल विकास विभाग को इसके लिए बजट आवंटन बढ़ाए। लिंग आधारित बजट निर्माण को प्रोत्साहित करने और महिला विकास के लिए सभी फंडों में से कम से कम 40 प्रतिशत निर्धारित करने के निर्णय को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाए कि महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास हेतु विभाग को पर्याप्त फंड दिए जाएं।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को ग्रेड-3 में और हेल्परों की सेवाओं को ग्रेड-4 में नियमित किया जाए; इसके लंबित रहने तक उन्हें ग्रेड-3 और ग्रेड-4 सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन अदा किया जाए।
- स्थानीय निकायों को निर्देश दिया जाए कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए जन्म के रिकार्ड को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य के लिए वैध मानें।
- प्राइमरी स्कूलों को निर्देश दिया जाए कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को अपने स्कूलों में आंगनवाड़ी छोड़ने वाले बच्चों को दाखिल करते समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र मानें।
- आंगनवाड़ी केंद्रों को महिलाओं में अंधविश्वासों के खिलाफ जागरूकता को प्रोत्साहित करने, वैज्ञानिक नजरिया प्रोत्साहित करने, घरेलू हिंसा, सती के खिलाफ महिला अधिकारों, बाल विवाह, दहेज, यौन उत्पीड़न, डायनों के नाम पर हत्याओं के खिलाफ जागरूकता पैदा करने हेतु केंद्रों में विकसित किया जाए जिससे महिलाओं के शक्तिकरण में मदद मिलेगी।
- आंगनवाड़ी केंद्रों को भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं जैसे अछूत प्रथा तथा दूसरे सामाजिक उत्पीड़नों तथा बाल श्रम जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई हैं, के खिलाफ जागरूकता पैदा करने में मदद करनी चाहिए।

उपर्युक्त मांगों के प्रति आईसीडीएस से लाभार्थियों में जबर्दस्त रेस्पांस था जो उपर्पुक्त मांगों पर माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह को दिये जाने वाले ज्ञापन पर देशभर के लाभार्थियों से एकत्र किए गए लगभग 1 करोड़ हस्ताक्षरों में प्रतिबिम्बित था। प्रतिनिधिमंडल 26 अप्रैल 2005 को संसाधन मंत्री से मिला और उन्हें ज्ञापन तथा हस्ताक्षर सौंपे।

के हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए-13, राऊज एवेन्यू नई दिल्ली -2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित